II/ निग०/सेवा/2018/0113

51

न्यायालय श्रीमान् माननीय राजस्व मण्डल अधिकारी महोदय ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

Rs-30/-

कालू उर्फ कल्लूराम पिता स्व0 श्यामलाल प्रजापति उम्र 76 वर्ष, निवासी मनगवां, वार्ड नम्बर 9 थाना तहसील मनगवां, जिला रीवा म0प्र0 हाल मुकाम वनगांव पोस्ट तहसील आमगांव, जिला गोंदिया महा0 द्वारा आम मुख्तार रामनिहोर पिता कल्लू राम उम्र 51 वर्ष निवासी भागीरथी उर्फ भगीरथ तनय कल्लूराम प्रजापति उम्र 44 वर्ष, निवासी मनगवां, वार्ड नम्बर 9 थाना व तहसील मनगवां, जिला रीवा म0प्र0 वर्तमान निवास बनगांव पोस्ट तहसील आमगांव, जिला गोंदिया महा0

----आवेदकगण

बनाम्

1- बीरभान प्रजापति पिता जगन्नाथ प्रसाद उम्र 20 वर्ष,

2- रामरुचि प्रजापति पिता जगन्नाथ उम्र 22 वर्ष,

3- जगन्नाथ पिता हिमांचल प्रजापति उम्र 52 वर्ष,

4- राधा देवी पत्नी जगन्नाथ प्रजापति [redacted] उम्र 55 वर्ष, सभी निवासी सा0 मनगवां वार्ड नम्बर 9 थाना तहसील मनगवां, जिला रीवा म0प्र0

6- म0प्र0 शासन म0प्र0

------अनावेदकगण

पुनरीक्षण विरुद्ध दिनांक 08-12-2016 प्रकरण क्रमांक 01/अ-5/16-17 न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील <u>मनगवां, जिला रीवा म0प्र0</u>

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 <u>म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959</u>

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/रीवा/भूरा/2018/0113

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
23-5-18	आवेदक के अधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद तिवारी द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील मनगंवा जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 1/अ–5/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 08.12.2016 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों के साथ धारा–5 का आवेदन मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 1 वर्ष 14 दिन के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सके, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। (एस0 एस0 अली) सदस्य	